# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00294Jodhpur225RTA2018-131 Manglaram Vs State of Rajasthan

---

मंगलाराम पुत्र उम्मेदराम जाति पटेल, निवासी- ग्राम झॅवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

..... अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जोधपुर

..... रेस्पो.

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर लूणी दिनांक 15 जुलाई 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 271/2017 भीयाराम बनाम सरकार इत्यादि**

------- 0 -------

उपस्थित --

श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

## नि र्ण य

**दिनांक : 05 अक्टूबर 2021**

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित आदेश संख्या 271/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 31 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। जिसके आधार पर अपील बउज मियाद दर्ज रजिस्टर की गयी।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण भीयाराम पि. रूपाराम, मगाराम पि. पूनाराम वगैरह, बालाराम पि. उदाराम वगैरह, बेनाराम/पेमाराम, भेराराम, सोहनराम पि. दुर्गाराम वगैरह, नारायणराम पि. खीयाराम वगैरह, मंगलाराम पि. उम्मेदराम, कमल किशोर पि. रामपाल के रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थनापत्र एवं पटवारी हळका झंवर व भू-अभिलेख निरीक्षक झंवर, उपतहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी कैम्प कोर्ट लूणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम झंवर में स्थित निम्नलिखित आराजियात में से उनके खसरा नम्बर के आगे अंकित रकबा गैर मुमकिन रास्ते हेतु सहमति से छोडा गया रकबा मानते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमल-दरामद किये जाने तथा राजस्व नक्शे में मूल खसरान की भूमि में से कम करते हुए तरमीम की जाकर तदनुसार अभिलेख संधारित किये जाने का आदेश पारित किया--

| क्र. सं. | गांव का नाम | दर्ज खातेदार का नाम मय पिता का नाम | खसरा संख्या | रकबा जो गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होगा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झंवर | भीयाराम पि. रूपाराम | 1358 | 0.15.16 |

राजस्व अपील प्राधिकारी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | झंवर | भगाराम पि. पूनाराम वगैरह | 1354 | 0.11.06 |
| 3 | झंवर | बालाराम पि. उदाराम वगैरह | 1353 | 0.07.07 |
| 4 | झंवर | बालाराम पि. उदाराम वगैरह | 1349 | 0.07.09 |
| 5 | झंवर | बेनाराम/पेमाराम | 1345 | 0.07.11 |
| 6 | झंवर | भेराराम, सोहनराम पि. दुर्गाराम | 1344 | 0.06.00 |
| 7 | झंवर | नारायणराम पि. खीयाराम | 1343 | 0.09.05 |
| 8 | झंवर | मंगलाराम पि. उम्मेदराम | 1342 | 0.06.03 |
| 9 | झंवर | कमल किशोर पि. रामपाल | 1339 | 0.09.05 |

उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट मंगलाराम की कृषि भूमि खसरा नं. 1342 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा वाके मौजा झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर के संबंध में दिनांक 15.07.2017 को गैर मुमकिन रास्ते हेतु 06 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि दर्ज किये जाने का आदेश अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित कर भारी भूल की है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर खारिज किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से लगता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बगैर ही दिनांक 15.07.2017 को हल्का पटवारी झंवर, भू-अभिलेख निरीक्षक झंवर तथा नायब तहसीलदार लूणी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रपत्र 1 में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर खाारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम झंवर के जिन खसरान के संबंध में रास्ते का आदेश पारित किया गया है, उन खसरान के सभी खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और अपीलाधीन आदेश में प्रार्थीगण भीयाराम पि. रूपाराम, मगाराम पि. पूनाराम वगैरह, बालाराम पि. उदाराम वगैरह, बेनाराम/पेमाराम, भेराराम, सोहनराम पि. दुर्गाराम वगैरह, नारायणराम पि. खीयाराम वगैरह, मंगलाराम पि. उम्मेदराम, कमल किशोर पि. रामपाल के रास्ते के उपयोग प्रार्थनापत्रों एवं पटवारी हळका झंवर व भू-अभिलेख निरीक्षक झंवर, उपतहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना वर्णित किया गया है, जबकि अपीलाण्ट्स अथवा अपीलाधीन आदेश के जरिये जिन खसरा नम्बरान की भूमि का उपयोग रास्ते हेतु किया गया है, जबकि उक्त भूमियों के दोनो तरफ पूर्व से ही रास्ते आये हुए है। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित तालिकानुसार खातेदारान द्वारा आम रास्ते हेतु सहमति से रकबा छोडा हुआ होना भी दर्शाया गया है, जबकि ऐसी कोई सहमति किसी भी संबंधित खातेदार द्वारा नहीं दी गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत किसी भी खातेदार काश्तकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स उक्त खसरा नम्बरा के रिकार्डेड खातेदार है, किन्तु उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गयी और सुनवाई का भी कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता चालू माना गया है, जिसका कोई आधार अथवा मौके की वास्तविक एवं विस्तृत रिपोर्ट संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं हळका पटवारी से तलब की जाकर अभिलेख पर नहीं ली गयी है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकारान बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पायी। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मियाद-प्रार्थनापत्र अस्पष्ट और अपूर्ण है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट्स मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने के काबिल है। अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है, अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, चूंकि अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं थे, इस कारण उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का आम रास्ते हेतु उपयोग करने बाबत **सहमति दिये जाने संबंधित कोई सहमति पत्र अथवा रास्ता प्रदत्त किये जाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध ही नहीं है।** यही नहीं, अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता हेतु प्रयुक्त विभिन्न खसरा नम्बरान व उनके खातेदारान की जो तालिका उक्त आदेश में अंकित की गयी है, उसमें **वर्णित खसरा नम्बरान के रिकार्डेड सभी खातेदारान को अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पहले पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है तथा न ही आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में आवेदकों के नाम के अलावा संपूर्ण प्रविष्टियां खाली छोड़ी हुई है। प्रार्थना पत्रों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन खातेदारों को कौनसे खसरान् में सें रास्ता चाहिए।** खातेदार भीयाराम, भगाराम, बेनाराम, भेराराम नारायणराम, कमकिशोर जिनकी भूमि रास्ते के रूप में दर्ज की गई है, उनकी उपस्थिति या सहमति रिकार्ड पर नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत धारा 251-ए की परिधि में नहीं आने एवं विधिसम्मतः नहीं होने से यथावत रखे जाने लायक नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित आदेश संख्या 271/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर